दिनांक 05.11.2019 को श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रधान लिपिकों की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– **पंजी के अनुसार।**

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम उपस्थित सभी प्रधान लिपिकों का स्वागत् करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात बिन्दुवार मामलों का समीक्षा करते हुए निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति आदेश का अनुपालन :–

- समाहरणालय संवर्ग के लिपिकों/राजस्व कर्मचारियों/जनसेवकों का किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश की अनुपालन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निम्नांकित कर्मियों को संबंधित कार्यालय द्वारा विरमित नहीं किया गया है :–

  1. श्री सुमन लाल, निम्नवर्गीय लिपिक, प्रखण्ड कार्यलय, चौसा
  2. श्री अनिल कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, चक्की

  संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर स्थानान्तरित कर्मियो को विरमित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा वे स्वतः विरमित माने जायेंगे।

2. वित्तीय प्रबंधन :–

- गत् प्रधान लिपिकों की बैठक में प्रखण्डों के प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया था कि आवश्यकता से अधिक संधारित बैंक खातों में संचित राशि को चालान के माध्यम से जमा करते हुए संबंधित खातों को बंद कर देंगे। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत् बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन अबतक नहीं किया गया है।

  संबंधित कार्यालय के नियंत्री पदाधिकारी/प्रधान लिपिक/नाजीर को निदेश दिया जाता है कि वैसे बैंक खाते जिनका उपयोग नहीं किया जाना है। उक्त बैंक खातों को बंद करते हुए संबंधित शीर्ष की राशि चालान के माध्यम से जमा करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी प्रधान लिपिक की बैठक में लाना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा संबंधित प्रधान लिपिक/नाजीर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

  समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड कार्यलय, बक्सर/ब्रह्मपुर/चौसा/सिमरी एवं अंचल कार्यालय, चक्की के प्रधान लिपिक द्वारा रोकड़ बही की प्रति प्राप्त नहीं करायी गयी है। प्रधान लिपिकवार समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड बक्सर के प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि नाजीर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण अद्यतन नहीं हो पाया है। निदेशित किया गया कि वे स्वयं अभिरूचि लेते हुए कैशबुक अद्यतन करायेंगे एवं कृत कार्रवाई के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहेंगे। प्रखण्ड ब्रह्मपुर के प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि नाजीर का अंतर जिला स्थानान्तरण होने के कारण रोकड़ बही अद्यतन नहीं किया गया है। संबंधित नाजीर को तत्काल विरमित नहीं करने का आदेश निर्गत करने तथा प्रधान लिपिक का वेतन भुगतान स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

  प्रखण्ड चौसा के प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि तत्कालीन नाजीर द्वारा प्रभार नहीं देने के कारण कैशबुक अद्यतन नहीं हो पाया है। बैठक में उपस्थित श्री हाकिम चन्द्र प्रसाद, लिपिक, अंचल कार्यालय, राजपुर तत्कालिन नाजीर प्रखण्ड कार्यालय, चौसा से पृच्छा करने पर उनके द्वारा बताया गया कि अभिश्रव को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा द्वारा पारित नहीं करने के कारण प्रभार नहीं दिया गया है। यथास्थिति में श्री हाकिम चन्द्र प्रसाद, लिपिक, अंचल कार्यालय, राजपुर तत्कालिन नाजीर प्रखण्ड कार्यालय, चौसा का वेतन भुगतान स्थगित करते एक सप्ताह के अंदर प्रखण्ड नजारत चौसा का प्रभार सौंपने का निदेश दिया गया।

प्रखण्ड सिमरी के प्रधान लिपिक द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिये जाने के कारण वेतन भुगतान स्थगित किया गया।

अंचल कार्यालय, चक्की के प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि तत्कालीन नाजीर श्री बैरम अली खॉ, अंचल कार्यालय, चक्की के प्रभार का इंवेन्ट्री तैयार किये जाने के कारण अबतक प्रभार नहीं हो पाया है। निदेशित किया गया कि इंवेन्ट्री सूची के अनुसार रोकड़बही एवं बैंक खातों का मिलान करते हुए अविलम्ब अंचल नजारत, चक्की का प्रभार प्राप्त करने तथा श्री बैरम अली खॉ, निलंबित लिपिक –सह– नाजीर के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र **'क'** साक्ष्य सहित तीन प्रतियों में गठित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव के माध्यम से प्राप्त कराने का निदेश दिया गया।

➢ गत् कई बैठकों में उपस्थित प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया था कि रोकड़ बही का संधारण नियमित रूप से करते हुए माह के अंतिम तिथि को रोकड़ बही को क्लोज करते हुए रोकड़ बही की छायाप्रति एवं बैंक समाशोधन प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेंगे, परन्तु समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संबंधित प्रधान लिपिकों/नाजीर द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। यह भी निदेश दिया गया था कि पंचायतों/वार्डो में संचालित योजनाओं के बैंक खातों के समाशोधन प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेगें, परन्तु इसका भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यथास्थिति में संबंधित प्रधान लिपिक एवं नाजीर को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित निदेशों का अनुपालन करते हुए बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेश के अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में भाग लेंगे, अन्यथा संबंधित प्रधान लिपिकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया।

➢ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक **2563**, दिनांक **15.04.2019** द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदधारकों का सम्पति एवं दायित्वों की विवरणी की मांग की गयी है। विभागीय निदेश के आलोक में गत् प्रधान लिपिकों की बैठक में प्रखण्डों के प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया था कि जन प्रतिनिधियों का बैठक आहूत करते हुए तिथि निर्धारित कर उनके सम्पति एवं दायित्वों की विवरणी प्राप्त करेंगे, परन्तु समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उक्त निदेश का अनुपालन अबतक नहीं किया गया है, मात्र तीन प्रखण्डों से आंशिक रूप में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जो खेद का विषय है।

संबंधित सभी प्रधान लिपिकों को निदेशित किया जाता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से जन प्रतिनिधियों को स्मारित करते हुए पत्र निर्गत करेंगे तथा जन प्रतिनिधियों का बैठक आहूत कर एक सप्ताह के अंदर उनके सम्पति एवं दायित्वों की विवरणी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात् समेकित विवरणी जिला पंचायत कार्यालय, बक्सर को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

➢ गत् प्रधान लिपिकों की बैठक में बाल विकास परियोजना कार्यालयों के प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया था कि उनके परियोजना अन्तर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन है, की सूची तैयार करते हुए कारण सहित प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम कार्यालय को प्राप्त कराना सुनिश्चत करेंगे। समीक्षा के क्रम में जिला प्रोग्राम कार्यालय के प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि अबतक चार प्रखण्ड बक्सर/राजपुर/चौसा एवं इटाढ़ी मात्र से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

अन्य सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों के प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि प्रश्नगत् प्रतिवेदन प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु योजनाऍ किस योजना से ली गई तथा उक्त राशि का अपव्यय तो नहीं किया गया है। यदि उक्त भवन अधूरा है, तो किस कारण से है।

ऐसी स्थिति में बाल विकास परियोजना कार्यालयों के प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची, योजना का नाम, प्राक्कलन की राशि एवं व्यय की गयी राशि की विवरणी तीन दिनों के अंदर जिला प्रोग्राम कार्यालय को प्राप्त करायेंगे एवं आगामी सोमवार को आहूत होने वाली जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक में इस मामले की समीक्षा हेतु प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

- गत् बैठक में उपस्थित अंचलों के प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि नियमित रूप से अंचल अधिकारियों का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम निर्गत करते हुए सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को अंचल क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी के साथ भूमि विवाद की बैठक की कार्यवाही एवं राजस्व वसूली से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे, परन्तु समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल डुमरॉव एवं सिमरी द्वारा अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम निर्गत किया गया है। शेष अंचलों के प्रधान लिपिकों द्वारा निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

  अन्य सभी प्रधान लिपिकों को निदेशित किया जाता है कि दो दिनों के अंदर अंचल अधिकारियों का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम निर्गत करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
- गत् बैठक में अंचल कार्यालयों के प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया था कि कतिपय मामलों में चौकीदार/दफादारों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निमित प्रपत्र **'क'** की मांग की गयी है, परन्तु आरोप पत्र प्रपत्र **'क'** ससमय प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त कर्मी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही लम्बे अवधि तक लंबित पड़ी हुयी है। प्रधान सहायक जिला सामान्य शाखा से चौकीदारों के विरूद्ध लंबित विभागीय कार्यवाही से संबंधित सूची की मांग किये जाने पर उनके द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया। प्रधान सहायक सामान्य शाखा को निदेशित किया जाता है कि चौकीदारो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संबंधित अंचल कार्यालय से प्रपत्र **'क'** प्राप्त कर अविलंब सूची के साथ संचिका उपस्थापित करेंगे। यदि संबंधित अंचल से वर्णित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है तो स्मारित करते हुए दूरभाष के माध्यम से भी समन्वय स्थापित कर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि इंदिरा आवास से संबंधित वैसे राशि जिसका खर्च नहीं किया जाना है, को अबतक चेक के माध्यम से जमा नहीं किया गया है। इस मामलें में अंकेक्षण विभाग द्वारा भी आपत्ति व्यक्त की गई है। प्रखण्डों के प्रधान लिपिक एवं नाजीर को निदेश दिया जाता है कि इंदिरा आवास निर्माण से संबंधित वैसे राशि जिसका व्यय नहीं होना है, को चेक के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, बक्सर में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

3. डी0सी0 विपत्र :–

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	दिनांक 31.08.19 तक लम्बित डी0सी0 विपत्र की राशि	दिनांक 03.10.19 तक लम्बित डी0सी0 विपत्र की राशि
1	2	3	4
1	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चक्की	-65756.00	-65756.00
2	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इटाढी	389000.00	389000.00
3	नजारत उप समाहर्त्ता, बक्सर से संबंधित है। (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,नावानगर)	2894700.00	2894700.00
4	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी	71570.00	71570.50
5	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,आई0सी0डी0एस0,बक्सर	4534948.00	4522483.00
6	जिला शिक्षा पदा0, बक्सर	682619.00	682619.00
7	जिला शिक्षा अधीक्षक, बक्सर	656670.00	656670.00
8	जिला कल्याण पदा0, बक्सर	11164578.00	11164578.00
9	उप समाहर्त्ता नजारत, बक्सर	25596360.00	24530760.00
10	भवन प्रमंडल, बक्सर	662400.00	662400.00
11	कार्यपालक पदा0, नगर परिषद, बक्सर	2498477.00	2498477.00
12	जिला पंचायत कार्यालय,बक्सर	2691658.00	2691658.00
13	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	2602269.00	1416650.00
14	कमान्डेन्ट होम गार्ड, बक्सर	9922850.00	6457400.00
15	सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर	1487959.00	1287959.00
16	बक्सर जिला के अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	109383262.00	118524051.70
	कुल योग :–	**174095499.00**	**178385220.20**

सभी संबंधित प्रधान लिपिकों को निदेशित दिया जाता है कि लंबित डी0सी0 विपत्रों का समायोजन कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

4. सेवान्त लाभ :- सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभ के भुगतान के संबंध में सेवानिवृत कर्मीवार समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	सेवानिवृति की तिथि	कार्यालय/ विभाग का नाम	सेवानिवृत कर्मी का नाम एवं पदनाम	अनुपालन की स्थिति
1	2	3	4	5
1	31.07.15	अनुमण्डल डुमरॉव	श्री शंभुनाथ प्रसाद, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी,मो0 **9471932089**	पूर्व पदस्थापित कार्यालय से कटौती विवरणी की मांग की गयी है, जो अप्राप्त हैं।
2	31.10.16	अनुमण्डल डुमरॉव	श्री अरूण शक्ति देव, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, डुमरॉव मो0 **9661576511**	जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु भेजा गया है।
3	31.03.18	अनुमण्डल डुमरॉव	श्री मिथिलेश कुमार सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी डुमरॉव	सभी सेवांत लाभों का भुगतान कर दिया गया है। विभाग के निदेशानुसार 90 प्रतिशत उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि के भुगतान कर दिया गया है।
4	30.11.17	प्रखण्ड ब्रह्मपुर	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, पंचायत सचिव	प्रखण्ड कार्यालय, डुमरॉव, चौसा एवं इटाढ़ी से भविष्य निधि कटौती विवरणी अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। संबंधित प्रधान लिपिक को निदेशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर प्रखण्ड ब्रह्मपुर को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
5	19.02.18 को मृत	प्रखण्ड, डुमरॉव	स्व0 दिनेश कुमार शर्मा, लिपिक	भविष्य निधि एवं ग्रूप बीमा की राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। निदेशित किया गया कि आगामी बैठक के पूर्व भुगतान करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे।

- सभी प्रधान लिपिकों को अवगत कराया गया कि लोकायुक्त न्यायालय में दर्ज परिवाद संख्या **02**/लोक(राजस्व) **59/2010** में माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा लंबित सेवान्त मामलें का निष्पादन की समीक्षा दिनांक **06.11.2019** को की गयी। समीक्षोपरांत दिनांक **31.03.2020** तक सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के शत्-प्रतिशत सेवान्त लाभों का भुगतान करते हुए प्रतिवेदन प्राप्त कराने का निदेश दिया गया है। प्रधान लिपिकों को निदेशित किया जाता है कि लोकायुक्त न्यायालय द्वारा सेवांत लाभों के भुगतान से संबंधित मामलों की सुनवाई दिनांक **08.04.2020** को निर्धारित है। अतएव दिनांक **31.03.2020** तक सेवानिवृत होने वाले कर्मियों एवं पूर्व से लंबित सेवांत लाभों से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठम में उपस्थित रहेंगे।
- समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि अंचल कार्यालय, सिमरी/इटाढ़ी/राजपुर से सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी यथा् श्री नारदमुनी गोस्वामी/स्व0 सुरंजीत सिंह/स्व0 संतोष कुमार सिंह का सेवान्त लाभ लंबित है। इसकी समीक्षा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जा रही है एवं बार-बार स्मार के बावजूद भी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहे है, जो खेद का विषय है।

अतः संबंधित अंचल अधिकारी एवं संबंधित प्रधान लिपिक को निदेशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर लंबित मामलों का निष्पादन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करायेंगे एवं आगामी बैठक में भी उपस्थित रहेंगे।

- **हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक **07.01.2009** से **09.02.2009** के हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान शत् प्रतिशत् कर दिये जाने के संबंध में प्रतिवेदन की मांग संबंधित कार्यालय से की गई है, जिसमें मात्र अनुमण्डल, बक्सर एवं डुमरॉव/प्रखण्ड कार्यालय, डुमरॉव एवं इटाढ़ी से प्रतिवेदन प्राप्त है, परन्तु बार–बार स्मार के बावजूद भी उक्त प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

  यह मामला लोकायुक्त न्यायालय से संबंधित है, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना है। ऐसी स्थिति में सभी प्रखण्ड एवं अंचल के प्रधान लिपिकों को निदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के अंदर वांछित प्रतिवेदन प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को भेजा जा सके।

5. माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामले :–

क्र0	संबंधित कार्यालय	M.J.C	L.P.A	C.W.J.C	Cr.W.J.C.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला विधि शाखा, बक्सर			2		2
2	उप विकास आयुक्त, बक्सर	1		3		4
3	अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर			1		1
4	जिला शिक्षा पदाधिकारी	12		31		43
5	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी		1	6		07
6	जिला आपूर्ति शाखा, बक्सर			5		5
7	जिला शस्त्र शाखा	1		5		6
8	जिला सामान्य शाखा			1		1
9	जिला मत्स्य पदाधिकारी			1		1
10	पंचायत शाखा, बक्सर			4		4
11	आपदा शाखा, बक्सर			1		1
12	राजस्व शाखा, बक्सर			2		2
13	जिला कृषि कार्यालय, बक्सर			1		1
14	**D.P.O (ICDS)**	1	1	12		15
15	अनुमण्डल कार्यालय, डुमरॉव			5		5
16	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर			1		1
17	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डुमरॉव	1		1		2
18	प्रखंड विकास पदाधिकारी, इटाढ़ी			2		2
19	प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर			1		1
20	प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरॉव			1		1
21	प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावानगर			1		1
22	प्रखंड विकास पदा0, ब्रह्मपुर			3		3
23	प्रखंड विकास पदा0, सिमरी			2		2
24	अंचल अधिकारी, डुमरॉव			3		3
25	अंचल अधिकारी, बक्सर	SLP-1		8		9
26	अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर	1	1	7	2	11
27	अंचल अधिकारी, नावानगर	1		11		12
28	अंचल अधिकारी, इटाढ़ी	SLP-1		4		5
29	अंचल अधिकारी, सिमरी			3		3
30	अंचल अधिकारी, राजपुर	2		7		9
31	नगर परिषद, डुमरॉव			3		3
32	जिला परिषद, बक्सर	1				1

33	जिला पशुपालन, बक्सर	1				1
34	भवन प्रमण्डल, बक्सर			1		1
35	विद्युत विभाग, बक्सर			1		1
36	लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, बक्सर			1		1
37	ग्रा0कार्य0वि0कार्य0प्र0, डुमराँव			2		2
38	केन्द्रीय कारा, बक्सर				1	1
39	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी			1		1
	कुल	**24**	**3**	**145**	**3**	**177**

लंबित वादों के समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिये गये :–

- वैसे मामले जिसमें याचिका की प्रति **IWDMS** पर अपलोड नही है, से संबंधित याचिका की प्रति प्राप्त करने हेतु जिला नजारत शाखा द्वारा प्राधिकृत विशेष दूत श्री मुनेशवर प्रसाद, कार्यालय परचारी, मो0 नं0 **9472087165** से संपर्क स्थापित करते हुए याचिका की प्रति प्राप्त करेंगे एवं लंबित मामलें का निष्पादन ससमय करना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में शिक्षा विभाग के प्रधान लिपिक द्वारा मामलें के निष्पादन के बिन्दु पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिसके कारण प्रधान लिपिक का वेतन भुगतान स्थगित किया गया।
- वैसे मामले जिसमें तथ्य विवरणी दायर हो चुकी है, का ओथ नं0 दो दिनों के अंदर जिला विधि शाखा को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
- माननीय उच्च न्यायालय में भूमि से संबंधित ऐसे मामले जिसमें सरकार पक्षकार है, में पाया गया है कि सरकार का पक्ष दाखिल नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित हुआ है। वैसे सभी वाद जिसमें न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, की सूची सभी अंचल कार्यालय से मांग की गयी थी, जो अब तक अप्राप्त है। अंचल कार्यालय के सभी प्रधान सहायक वांछित सूची जिला राजस्व शाखा, बक्सर को अविलंब उपलब्ध करायेंगे एवं बैठक में प्रतिवेदन के साथ भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रधान लिपिक को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैठक में आने से पूर्व सभी मामले की अद्यतन जानकारी एवं अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा कर पूर्ण जानकारी के साथ बैठक में भाग लेंगे।

  अतः अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक भी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करेंगे एवं निरीक्षण की तिथि के दो दिन पूर्व निरीक्षण टिप्पणी जिला गोपनीय शाखा में प्राप्त करायेंगे।
- **रोकड़ पंजी का प्रशिक्षण** :– गत बैठक में वितीय नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप रोकड़ पंजी के संधारण हेतु जिला नाजीर एवं वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को प्रशिक्षण देने हेतु तिथि निर्धारित कराकर प्रशिक्षण आयोजित कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन अब तक नहीं हुआ है। वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं जिला नाजीर को निदेशित किया जाता है कि प्रशिक्षण की तिथि शीघ्र निर्धारित कराकर प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे।

  (अनुपालन :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं जिला नाजीर, बक्सर)
- लोकसभा आम निर्वाचन, **2019** के अवसर पर अधिग्रहित किये गये वाहनों के मुआवजा भुगतान की प्रखण्डवार विस्तृत समीक्षा की गयी। सभी प्रधान लिपिक को निदेशित किया गया कि अधिग्रहित वाहनों का लॉगबूक, अग्रिम पंजी की जॉच एवं **VMS** से सत्यापन करते हुए क्रमानुसार भुगतान एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं मुआवजा भुगतान हेतु अगर अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो वास्तविक राशि का आकलन कर अधियाचना पत्र जिला निर्वाचन शाखा, बक्सर को अविलंब प्राप्त करायेंगे।
- मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से प्राप्त परिवाद पत्रों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- बैठक में प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि जिला पदाधिकारी के समक्ष आमजनों द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में दिये गये आवेदन पत्रों/परिवाद पत्रों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन से संबंधित कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

6. लोकायुक्त :–

क्र0	लंबित कार्यालय का नाम	कुल प्राप्त मामलों की संख्या	प्रतिवेदन भेजे गए मामलें की संख्या	लंबित मामलें की संख्या
1	जिला शिक्षा पदाधिकारी	13	11	2
2	राजस्व शाखा	12	8	4
3	योजना शाखा	1	0	1
4	डी0आर0डी0ए0, बक्सर	8	1	7
5	लोकायुक्त कोषांग, बक्सर	1	0	1
6	स्थापना उप समाहर्त्ता, बक्सर	2	0	2
7	असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर	1	0	1
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी,बक्सर	2	0	2
9	उप निर्वाचन पदाधिकारी, बक्सर	1	0	1
10	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बक्सर	1	0	1
	योग	**42**	**20**	**22**

सभी संबंधित प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र करना सुनिश्चित करेंगे एवं जिन मामलों में लोकायुक्त न्यायालय में यदि तिथि निर्धारित की गयी हो तो निर्धारित तिथि के पूर्व प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन लोकायुक्त कोषांग को भी देंगे। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

6. मानवाधिकार :–

क्रमांक	लंबित कार्यालय का नाम	लंबित मामलें की संख्या
1	पुलिस अधीक्षक, बक्सर	01
2	उप विकास आयुक्त, बक्सर	04
3	अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर	02
3	अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमराँव	02
4	प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा, बक्सर	01
5	ज़िला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर	10
6	स्थापना उप समाहर्त्ता, बक्सर	01
7	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग,बक्सर	01
8	प्रभारी राजस्व शाखा, बक्सर	01
9	जिला परिवहन कार्यालय, बक्सर	01
	कुल योग	**24**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मानवाधिकार आयोग से संबंधित विभिन्न कार्यालयों में कुल **24** मामले लंबित है। संबंधित सभी प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि **15** दिनों के अंदर लंबित मामलों का निष्पादन कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन नोडल शाखा को प्राप्त करायेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

7. विधान मण्डल :–

क्र0	लंबित कार्यालय का नाम	कुल प्राप्त मामलों की संख्या	प्रतिवेदन भेजे गए मामलें की संख्या	लंबित मामलें की संख्या
1	विकास शाखा	64	62	2
2	राजस्व शाखा	43	36	7
3	उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	1	0	1
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी	3	0	3
	योग	**111**	**98**	**13**

उपरोक्त शाखाओं के प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि **15** दिनों के अंदर विधान मंडल से संबंधित लंबित सभी मामलों का निष्पादन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

नोट :–

- **सभी प्रधान लिपिक को निदेशित किया जाता है कि प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार अथवा अधोहस्ताक्षरी के अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में नियत तिथि के 02 दिन पहले अपने कार्यालय में संधारित रोकड़ बही, बैंक पासबुक, बैंक समाशोधन एवं अन्य निदेशित मामलें का अद्यतन प्रतिवेदन के साथ बैठक में समीक्षा किये जाने वाले सभी बिन्दुओं का प्रतिवेदन संबंधित नोडल शाखा को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संबंधित शाखा द्वारा ससमय समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके। साथ हीं बैठक में पूछे जाने वाले मामलों से संबंधित प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेंगे।**

अतः सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 01–2231 /स्था0,बक्सर,दिनांक 13 / 11 /2019

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बक्सर
अपर समाहर्ता, बक्सर
उप विकास आयुक्त, बक्सर
समाहरणालय के सभी प्रभारी पदाधिकारी
अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव
भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर/डुमरॉव
प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा,बक्सर
जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर
जिला मत्स्य पदाधिकारी, बक्सर
वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव
जिला स्तरीय सभी कार्यालय प्रधान
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–बक्सर 11
सभी अंचलाधिकारी, जिला–बक्सर 11
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला–बक्सर
सभी प्रधान लिपिक
आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि बैठक की कार्यवाही जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

12/11/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर